न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2021 **दायर दिनांकः 04/01/2021**

उनवान

1. भंवरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूजर निवासी किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 406
दिनांक 30/03/2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा

उपस्थिति :–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाकः 06 /01/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि अपीलाण्ट के वाके ग्राम एवं माल किशनपुरा में खाता संख्या 90 के कुल किता 9 का रकबा 5.14 है0 आराजी अपीलाण्ट व उसकी बहिन घीसी बाई के दर्ज खाता स्थित थी। नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 एवं 2070 से 2073 साथ में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन घीसी बाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर निवासी किशनपुरा तहसील अटरू द्वारा अपील के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से उसके हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग उप पंजियन अधिकारी महोदय अटरू के यहां दिनांक 17.06.2015 को कर दिया था परन्तु आराजी एच.के.जी.बी. बैंक सकतपुर के रहन दर्ज होने के कारण हक त्याग का नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नही हो सका।

हक त्याग की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट द्वारा अपने खाते आराजी खाता संख्या 100 का कुल किता 4 का रकबा 4.78 है0 आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र अपने पोत्रों रामसिंह व दिलिप कुमार के पक्ष में तथा अपीलाण्ट द्वारा खाता संख्या 100 का शेष रकबा कुल किता 4 का 0.34 है0 एवं ग्राम भवानीपुरा का खाता संख्या 27 को ख0नं0 93 का रकबा 3.20 है मे से 0.96 है0 का दान पत्र अपने पोत्रों प्रथमसिंह व दिलखुश के पक्ष में कर दिया। दान पत्रों की प्रतियां साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट ने व उसकी बहिन ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को वर्ष 2020 में रहन मुक्त कराया तब अपीलाण्ट द्वारा उसके पोत्रों के पक्ष में किये गये दोनों दान पत्रों की प्रतियां पटवार हल्का किशनपुरा को दे दी गई थी। पटवार हल्का द्वारा वर्ष 2015 में अपीलाण्ट की बहिन द्वारा उसके पक्ष में किये गये हक त्याग का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा सहवन से तस्दीक नही किया तथा सहवन से अपीलाण्ट द्वारा रामसिंह व दिलिप कुमार के पक्ष में किये गये दान पत्र का नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 को तस्दीक कर दिया गया जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से तस्दीक किया गया है जिससे अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग की आराजी अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नहीं हुई है जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गया है। यदि नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 खारिज नहीं किया गया तो अपीलाण्ट को अपूरणीय क्षति होगी। नामान्तकरण संख्या 406 की प्रति साथ में संलग्न है। अपीलाण्ट नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से खारिज करवाकर अपीलाण्ट के पक्ष में हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसे बिना माननीय न्यायलय की सहायता के दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अपीलाण्ट ने के.सी.सी. ऋण लेने हेतु पटवार हल्का से नकल जमाबन्दी लेने हेतु दिनांक 20.03.2020 को सम्पर्क किया तब पटवार हल्का द्वारा हक त्याग का नामान्तकरण अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई। तदूपरान्त दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में कोरोना प्रभाव की वजह से लॉक डाउन लग जाने के कारण अपीलाण्ट समय पर उक्त अपील पेश नही कर सका इसलिए दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक के समय को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

पृथक से साथ में पेश किया गया है। अपील अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 डी राज0 ले0रे0 एक्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट निवेदन करता है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा खारिज फरमाया जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

अभिभाषक अपीलान्टस् की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 ग्राम पंचायत किशनपुरा खारिज फरमाया जाकर अपील की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट के पक्ष में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 17.06.2015 का नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम किशनपुरा में खाता संख्या 90 के कुल किता 9 का रकबा 5.14 है0 भूमि शामलाती खाते में दर्ज है। जो अपीलाण्ट व उसकी बहिन घीसी बाई के खाते दर्ज थी जो जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 एवं 2070 से 2073 से स्पष्ट है घीसी बाई द्वारा अपना हिस्सा अपने भाई के पक्ष में दिनांक 16.06.2015 को जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया गया था लेकिन भूमि पर एच.के.जी.बी. सकतपुरा का रहन होने से हक त्याग का नामान्तकरण अपीलाट के पक्ष में नहीं खुला अपीलान्ट द्वारा रामसिंह व दिलीप कुमार के पक्ष में किये गये दा पत्र का ामा0 संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 को तस्दीक कर दिया जो अवैधानिक एवं गैर कानूी तरीके से तस्दीक किया गया है। जिससे अपीलांट के पास में उसकी बहिन द्वारा किये गये हक त्याग की आराजी अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज नहीं हुई, ग्राम

पंचायत किशनपुरा द्वारा नामातकरण संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 बि जांच पडताल किये खोला गया है। जो न्यायहित में खारिज योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा खोला गया इन्तकाल संख्या 406 दिनांक 30.03.2020 खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि अपीलान्ट की बहिन घीसी बाई द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 17.06.2015 को किये गये हकत्याग का नियमानुसार इन्तकाल खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां